प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनाँक 03.05.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5261 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5261 को थाना महुली क्षेत्रांतर्गत हरिहरपुर से कालर द्वारा शराब के नशे में बाइक पोल से टकरा जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.आकाश पुत्र लालजी सोनकर निवासीगण ग्राम सवापार थाना महुली जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना महुली को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल को इलाज हेतु सीएचसी नाथनगर भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी ।

पीआरवी स्टाफ- का0 प्रदीप यादव, हो0गा0 दिलीप चौधरी ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 181 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 03.05.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 181 वाहनों से 2,01,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के प्रयास के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष मेंहदावल ***श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 0अ0सं0 158/2026 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/125/109(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता श्याममोहन पुत्र सरसराम यादव निवासी ग्राम जमोहरा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 03.05.2026 को जमोहरा बाराखाल तिराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

विदित हो कि दिनाँक 24.04.2026 को वादी श्री सुग्रीम पुत्र रामसुभग निवासी जमोहरा थाना मेहंदावल जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना मेंहदावल पर तहरीर दिया गया कि अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था । अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त को आज दिनांक 03.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, का0 चन्दन यादव, का0 अरूण यादव ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए हत्या के मामले में वाँछित अभियुक्त व अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल *श्री सर्वदवन सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 109/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता रामसवारे उर्फ सवारे पुत्र लखपत निवासी खजुरा कला थाना मेंहदावल व अभियुक्ता भानमती पत्नी रामसवारे निवासी खजुरा कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को कुदारन खास थाना बाँसी जनपद सिद्धार्थनगर से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-
01.रामसवारे उर्फ सवारे पुत्र लखपत निवासी खजुरा कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।
02. भानमती पत्नी रामसवारे निवासी खजुरा कला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर।

विदित हो कि वादी श्री चेतराम चौधरी पुत्र टीहुल निवासी चकदहा थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर द्वारा दिनाँक 27.03.2026 को थाना मेंहदावल पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उक्त अभियुक्त व उनकी पत्नी द्वारा वादी की पुत्री(गिरफ्तार अभियुक्त व अभियुक्ता की पुत्रवधु) कुसुम की हत्या कर जला दिया गया है। जिसके उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त मुकदमा से संबंधित वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को आज दिनाँक 03.05.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।
गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- थानाध्यक्ष मेहंदावल श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, हे0का0 मोतीलाल यादव,कां0 अनुराग कुमार सिंह,म0का0 खूशबू।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित बाल अपचारी को किया गया निरुद्ध

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 03.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 334/2026 धारा 137(2)/87/352/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित बाल अपचारी को निरुद्ध कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 01.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर बाल अपचारी के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए बाल अपचारी को निरुद्ध कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

निरुद्ध करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का हरिनारायण प्रसाद, का0 नीरज चौरसिया।

मिशन शक्ति अभियान फेज 5.0 द्वितीय चरण के तहत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर मे अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनाँक 03.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 229/2026 धारा 137(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त नाम पता सूरज पुत्र उमाशंकर निवासी काशीराम आवास थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनाँक 02.04.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- का0 राजन कुमार यादव, का0 अनुराग दूबे।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय*** के निकट पर्यवेक्षण में *थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस* द्वारा मु0अ0स0 3371/2026 धारा 64(1),115(2), 351(3) बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अर्जुन पुत्र गुलई निवासी मलोरना थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को आज दिनाँक 03.05.2026 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनांक 02.05.2026 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी के साथ उक्त अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0का0 अली हसन, हो0गा0 उमाशंकर गुप्ता।

थाना धनघटा पुलिस की त्वरित कार्रवाई: धनघटा बाजार से बिछड़ी 03 वर्षीय मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर परिजनों को सौंपा

पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे सुरक्षा एवं त्वरित सहायता अभियान के क्रम में थाना धनघटा पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए धनघटा बाजार से गुम हुई एक 03 वर्षीय बालिका को सकुशल बरामद कर उसकी माता को सुपुर्द किया गया।

आज दिनांक 03.05.2026 को श्रीमती सुशीला पत्नी राधेश्याम चौहान निवासी ग्राम रुपिन थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना धनघटा पर सूचना दी गयी कि वह अपनी 03 वर्षीय पुत्री चाँदनी के साथ धनघटा बाजार में सामान खरीदने आई थीं। खरीदारी के दौरान व्यस्तता के कारण उनकी पुत्री अचानक कहीं ओझल हो गई। काफी तलाश करने के बाद भी बच्ची का पता न चलने पर व्याकुल माता द्वारा तत्काल थाना धनघटा पर सूचना दी गई। स्थानीय पुलिसबल ने तत्परता दिखाते हुए घटना की जानकारी प्रभारी निरीक्षक धनघटा *श्री दिलीप सिंह* को दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक श्री दिलीप सिंह द्वारा तत्काल एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा बिना समय गंवाए धनघटा बाजार एवं आसपास के क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया। पुलिस टीम के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप गुमशुदा बालिका चाँदनी को धनघटा बाजार मन्दिर से सकुशल बरामद कर लिया गया। कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात बच्ची को उसकी माता श्रीमती सुशीला देवी को सुपुर्द किया गया। अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर परिजनों के चेहरे खिल उठे और उन्होंने धनघटा पुलिस की इस कार्यप्रणाली एवं संवेदनशीलता की भूरि-भूरि प्रशंसा की।